न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी– औमप्रकाश वर्मा आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या : 27 / 2025
निर्णय दिनांक : 13.08.2025
जीसीएमएस कमांक: 2025 / 50

राजस्व वाद संयुक्त खातेदारी विभाजन एवं चिर निषेधाज्ञा

1. कानी देवी पत्नी दानाराम जाति जाट निवासी ग्राम गुलेरीया तहसील सुजानगढ़
2 मुलाराम पुत्र दानाराम जाति जाट निवासी ग्राम गुलेरीया तहसील सुजानगढ
3. रेवन्तराम पुत्र दानाराम जाति जाट निवासी ग्राम गुलेरीया तहसील सुजानगढ़
4. सोनाराम पुत्र दानाराम जाति जाट निवासी ग्राम गुलेरीया तहसील सुजानगढ़

............वादी

बनाम

1. हंसाराम पुत्र प्रभुराम जाति जाट निवासी ग्राम गुलेरीया तहसील सुजानगढ
2. जसुराम पुत्र प्रभुराम जाति जाट निवासी ग्राम गुलेरीया तहसील सुजानगढ
3. भंवराराम पुत्र प्रभुराम जाति जाट निवासी ग्राम गुलेरीया तहसील सुजानगढ़
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ जिला चूरू

...........प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1. श्री रमेश कुमार बिशु, एडवोकेट वादीगण की ओर से।
2. श्री राजेन्द्र नेहरा प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही।
4. तहसीलदार सुजानगढ़ पेरोकारराज।

–: निर्णय :–

संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है एवं ग्राम गुलेरीया तहसील सुजानगढ़ के निवासी है। वादीगण स्व0 दानाराम के वारिसान है एवं प्रतिवादीगण स्व. प्रभुराम के वारिसान है जो कि दोनो सगे भाई थे। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के संयुक्त खातेदारी में वाके रोही ग्राम गुलेरीया तहसील सुजानगढ जिला चूरू मे खेत खसरा नम्बर 206 तादादी 11.4058 हेक्टेयर दर्ज स्थित है जिसमे वादीगण 1/2 एवं प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा नियत है एवं खेत खसरा नम्बर 290 तादादी 6.9674 हेक्टेयर दर्ज स्थित

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

है जिसमे वादीगण 1/2 एवं प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा नियत है जिसे वादपत्र मे वादगत भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के उपरोक्त खेतो मे रेकार्ड मे संयुक्त खातेदारी में भूमि चली आ रही है। वादी ने वादपत्र में निवेदन किया है कि वादगत भूमि मे खेत खसरा नम्बर 206 तादादी 11.4058 हेक्टेयर भूमि में संलग्न नजरी नक्शा अनुसार पूर्वी तरफ की 1/2 हिस्सा भूमि मे वादीगण का एवं पश्चिमी तरफ की 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 का कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसमे वादीगण एवं प्रतिवादी गण ने अपने अपने हिस्से मे आवासीय मकान बना रखे है एवं उसी प्रकार से संलग्न नजरी नक्शा अनुसार खेत खसरा नम्बर 290 तादादी 6.9674 हेक्टेयर में दक्षिणी तरफ 1/2 हिस्सा वादीगण के एवं उत्तरी तरफ की 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के कब्जा काश्त अधिकार उपयोग उपभोग में चली आ रही है। खेत खसरा नम्बर 206 तादादी 11.4058 भूमि मे संलग्न नजरी नक्शा अनुसार पूर्वी तरफ की 1/2 हिस्सा भूमि में वादीगण का एवं पश्चिमी तरफ की 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण का तथा उसी प्रकार से संलग्न नजरी नक्शा अनुसार खेत खसरा नम्बर 290 तादादी 6.9674 हेक्टेयर में दक्षिणी तरफ 1/2 हिस्सा वादीगण के एवं उत्तरी तरफ की 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण विभाजन किया जाकर पृथक पृथक से दर्ज की जाकर लगान पृथक से कायम किया जावे व प्रतिवादीगण को जरिये चिर–व्यादेश पाबन्द किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी के साथ साथ प्रतिवादीगण की भूमि का भूमि नजरी नक्शा अनुसार विभाजन कर दिया जाये। प्रतिवादी संख्या 1 तथा वादी संख्या 4 ने राजीनामा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी सं० 2 व 3 को विधिवत तामील होने के उपरान्त भी न्यायालय में असालतन व वकालतन हाजिर नहीं आए ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादीगण सं० 4 पेरोकारराज द्वारा राज्य हित निहित नहीं होना अंकित किया गया है। वादीगण वादगत कृषि भूमि वाके रोही ग्राम गुलेरीया तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू मे खेत खसरा नम्बर 206 तादादी 11.4058 है0 तथा खेत खसरा नम्बर 290 तादादी 6.9674 हेक्टेयर है0 भूमि का संलग्न नजरी नक्शानुसार विभाजन करवाकर पृथक पृथक से दर्ज की जाकर लगान पृथक से कायम करवाना चाहते है।

प्रकरण न्यायालय में विचारण किया जाकर प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार सुजानगढ़ को वादी व प्रतिवादीगण का अलग–अलग विभाजन प्रस्ताव मौके की स्थिति के अनुसार तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। जिस पर सुना गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला चूरू

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

बहस अन्तिम सुनी गई। वकील वादी ने वादपत्र के तथ्यों को दौहराते हुए मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद डिक्री किये जाने बाबत् निवेदन किया। वकील प्रतिवादी सं0 01 ने भी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा डिक्री किये जाने पर कोई आपति नहीं होना जाहिर किया। पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का राजस्व रिकॉर्ड तथा तहसीलदार सुजानगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। संलग्न जमाबंदी सवत् 2076–2079 रोही गुलेरिया प्रदर्श–1 व खसरा नक्शा 206 रोही ग्राम गुलेरिया प्रदर्श–2, खसरा नक्शा खसरा संख्या 290 रोही ग्राम गुलेरिया प्रदर्श–3, नजरी नक्शा खसरा संख्या 290 रोही ग्राम गुलेरिया प्रदर्श–4, खसरा नक्शा खसरा संख्या 206 रोही ग्राम गुलेरिया प्रदर्श–5, खसरा नक्शा खसरा संख्या 206 रोही ग्राम गुलेरिया प्रदर्श–6, खसरा नक्शा खसरा संख्या 290 रोही ग्राम गुलेरिया प्रदर्श–7 के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार सुजानगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक भी पक्षकारान का कब्जा काश्त तथा राजस्व रिकॉर्ड अनुसार ही है। अतः तहसीलदार सुजानगढ़ द्वारा निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैः–

वादीगण के हिस्से पांति की भूमिः–

1. कानी देवी पत्नी दानाराम जाति जाट निवासी ग्राम गुलेरीया तहसील सुजानगढ़
2 मुलाराम पुत्र दानाराम जाति जाट निवासी ग्राम गुलेरीया तहसील सुजानगढ
3. रेवन्तराम पुत्र दानाराम जाति जाट निवासी ग्राम गुलेरीया तहसील सुजानगढ़
4. सोनाराम पुत्र दानाराम जाति जाट निवासी ग्राम गुलेरीया तहसील सुजानगढ़

रोही ग्राम गुलेरिया

ख॰नं॰	तादादी
206 मीन	5.6678 हैक्टेयर
290 मीन	3.4376 हैक्टेयर
कुल तादादी	**9.1054 हैक्टेयर**

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के हिस्से पांति की भूमिः–

1. हंसाराम पुत्र प्रभुराम जाति जाट निवासी ग्राम गुलेरीया तहसील सुजानगढ
2. जसुराम पुत्र प्रभुराम जाति जाट निवासी ग्राम गुलेरीया तहसील सुजानगढ
3. भंवराराम पुत्र प्रभुराम जाति जाट निवासी ग्राम गुलेरीया तहसील सुजानगढ़

रोही ग्राम गुलेरिया

ख॰नं॰	तादादी
206 मीन	5.6678 हैक्टेयर
290 मीन	3.4377 हैक्टेयर
कुल तादादी	**9.1055 हैक्टेयर**

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते सुजानगढ़ जिला–चूरू

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 के हिस्से की संयुक्त खातेदारी भूमि रास्ते हेतु

रोही ग्राम गुलेरिया

ख॰नं॰	तादादी
206 मीन	0.0702 हैक्टेयर
290 मीन	0.0921 हैक्टेयर
कुल तादादी	**0.1623 हैक्टेयर**

रेकॉर्डेड खातेदार कृषक अपने हिस्से पांति की भूमि का विभाजन करवा सकता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार न्यायालय विभाजन प्रस्ताव के अनुसार दावा वादी अंतिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझता है।

–:आदेश:–

दावा वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 206 रकबा 11.4058 है0 व 290 रकबा 6.9674 है0 रोही मौजा गुलेरिया तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की कृषि भूमि में विभाजन प्रस्ताव अनुसार

वादीगण के हिस्से पांति की भूमि:–

ख॰नं॰	तादादी
206 मीन	5.6678 हैक्टेयर
290 मीन	3.4376 हैक्टेयर
कुल तादादी	**9.1054 हैक्टेयर**

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के हिस्से पांति की भूमि:–

ख॰नं॰	तादादी
206 मीन	5.6678 हैक्टेयर
290 मीन	3.4377 हैक्टेयर
कुल तादादी	**9.1055 हैक्टेयर**

वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 के हिस्से की संयुक्त खातेदारी भूमि रास्ते हेतु

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला–चूरू
सत्यमेव जयते

रोही ग्राम गुलेरिया

ख॰नं॰	तादादी
206 मीन	0.0702 हैक्टेयर
290 मीन	0.0921 हैक्टेयर
कुल तादादी	**0.1623 हैक्टेयर**

उपखण्ड अधिकारी

राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर अक्स में तरमीम करें। बैंक हित को कतई प्रभावित नहीं किया जाये। रहन की प्रविष्ठि यथावत रहेगी। विभाजन प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत नक्शा इस निर्णय का ही भाग रहेगा। तद्नुसार परचा डिक्री जारी हो। प्रतिवादी संख्या 4 तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो

निर्णय आज दिनांक 13.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से सरे ईजलास सुनाया गया ।

(ओमप्रकाश वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
सुजानगढ़ जिला-चूरू